बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

राज्यादेश सं० – मं०मं०–06/बजट (योजना आवंटन)–68/2015 843 पटना–15, दि० 31/03/16

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना

विषय – राज्यादेश संख्या–103, दिनांक–18.05.2015 के क्रम में मांग संख्या–04 के मुख्य शीर्ष–2053–जिला प्रशासन–राज्य योजना–093–जिला स्थापनाएँ–0106 –"20 सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन को गैर सरकारी सदस्यों का कार्यालय" के अन्तर्गत जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 5,00,000/– रूपये (पाँच लाख रूपये) के व्यय की स्वीकृति।

आदेश – **स्वीकृत।**

02. उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विभागीय संकल्प सं०–994, दिनांक–16.11.2009 द्वारा पूर्व में गठित जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों को अवक्रमित करते हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है तथा 'संकल्प सं०–335, दिनांक–24.07.2013 द्वारा समिति का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा', को 'समिति के मनोनित/नामित सदसयों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षो का होगा', से प्रतिस्थापित किया गया है। विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा राज्य के सभी जिला स्तरीय कार्यकारिणी समितियों में नामित सदस्यों को अगले आदेश तक पुनः अधिकतम तीन वर्षों के लिए मनोनित किया गया है। इसी प्रकार विभागीय संकल्प सं०–993, दिनांक–16.11.2009 द्वारा पूर्व से गठित प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों को अवक्रमित करते हुए पुनर्गठित किया गया है। पूर्व में विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा राज्य के सभी प्रखंड स्तरीय कार्यकारिणी समितियों में नामित सदस्यों को अगले आदेश तक पुनः अधिकतम तीन वर्षों के लिए मनोनित किया गया है।

03. उक्त योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्यादेश संख्या–103, दिनांक–18.05.2015 द्वारा रू० 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये) की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

04. राज्य सरकार ने उक्त योजना के संचालन हेतु गैर सरकारी सदस्यों के मानदेय एवं अन्य मदों पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल रू० 5,00,000/– (पाँच लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की है।

05. उक्त राशि योजना बजट के मुख्य शीर्ष–2053–जिला प्रशासन–राज्य योजना–093–जिला स्थापनाएँ–0106–"20 सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन को गैरसरकारी सदस्यों का कार्यालय से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड–P2053000930106 है।

06. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला स्तरीय समिति के लिए संबंधित उपविकास आयुक्त तथा प्रखंड स्तरीय समिति के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे।

07. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, बिहार/उपकोषागार, बिहार से की जायेगी।

08. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

09. प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी रहेंगे एवं सभी उपविकास आयुक्त, बिहार इस योजना से संबंधित खर्च का मासिक व्यय प्रतिवेदन, प्रत्यर्पण प्रतिवेदन, बजट प्राक्कलन एवं अन्य दूसरे प्रतिवेदन प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को भेजेंगें। व्यय के बाद शेष राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन निश्चित रूप से 31.03.2016 के पूर्व भेज देंगे। विलंब से प्रर्त्यपण प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में जवाबदेही संबंधित उपविकास आयुक्त की होगी।

10. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96/वि०(2) दिनांक–30.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोंपरान्त निर्गत किया जाता है। सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या–मं०मं०–01/बजट (योजना आवंटन)–68/2015 के पृष्ठ सं०– 12 /टि0 पर प्राप्त है।

E:\Budget\राज्यादेश .doc

कृ०पृ०उ०

11. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि०(2) दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

31.3.16

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – *मं०मं०–06/बजट (योजना आवंटन)–58/2015* 843 *पटना–15, दि०*31/03/*2016*

प्रतिलिपि – वित्त विभाग (बजट शाखा)/अर्थोपाय शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.3.16

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – *मं०मं०–06/बजट (योजना आवंटन)–58/2015* 843 *पटना–15, दि०*31/03/*2016*

प्रतिलिपि –जिला पदाधिकारी, नालंदा, समस्तीपुर, किशनगंज एवं दरभंगा/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.3.16

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव